विधानसभा अतारांकित प्र.क्र. 1436 परिशिष्ट 1/2.
माननीय विधायक श्री. जालम सिंह पटेल
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 23.12.2021

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं.–7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर– 482008 (म.प्र.)।

//परिपत्र//

क्रमांक अ.स./पूर्व क्षेत्र/स्था–3/430 जबलपुर, दिनांक 11.01.2011

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. के द्वारा कम्पनी क्षेत्रान्तर्गत पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना के सम्बंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक अस/पूर्व क्षेत्र/4412–13 दिनांक 08/06/2006, में जारी पदस्थापना नीति व उनके संशोधन पर परिपत्र क्रमांक अस/पूक्षे/स्था–3/4924–25 दिनांक 23/05/2007, क. अस/पूक्षे/स्था–3/656 दिनांक 22/01/2008, क. कानि(का)/पूक्षे/स्था–3/3009–10 दिनांक 22/5/2009 एवं क्रमांक अस/पूक्षे/स्था–3/5809–10 दिनांक 15/9/2010 में जारी को अधिक्रमित (Supersedé) करते हुये पदस्थापना नीति निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

1. कनिष्ठ यंत्री से अधीक्षण यंत्री तक के अधिकारियों/कर्मचारियों जो कि मैदानी कार्यो से संबंधित है की पदस्थापना करते समय यह ध्यान में रखा जावे कि ऐसी पदस्थापना उनके गृह जिले में नही की जावे।
2. कर्मचारियों की राजस्व कार्य से सम्बंधित पदस्थापना उनकी गृह तहसील में नहीं की जावे।
3. लाइन कर्मचारियों की पदस्थापना उनके गृह तहसील में नही की जावे। प्रत्येक तीन वर्ष में उनके प्रभार क्षेत्र में परिवर्तन किया जावे।
4. कनिष्ठ यंत्रियों से लेकर अधीक्षण यंत्री तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना सामान्यतः एक ही जिले में 15 वर्ष से अधिक व एक ही क्षेत्र में 20 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखी जावेगी। अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना एक ही जिले में 20 वर्षो से अधिक रखी जावेगी।
5. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिये दो वर्ष अथवा इससे कम समय शेष है उन्हें उनके आवेदन पर यदि प्रशासनिक दृष्टि से उचित हो तो ही यथा संभव उनके गृह जिले में पदस्थ करने का प्रयास किया जावे।
6. इस नीति के जारी होने के दिनांक से यदि किसी पर्यवेक्षक श्रेणी के कर्मचारी व कार्यपालन यंत्री स्तर तक के अधिकारियों का स्थानान्तरण सं/सं संभाग पाटन, बैहर, डिंडोरी, बैढन, पृथ्वीपुर, अनूपपुर व उमरिया के अन्तर्गत प्रशासनिक कारणवश किया जाता है तो इस पदस्थापना के दो वर्ष के उपरान्त ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की आगामी पदस्थापना इस नीति के अन्तर्गत उनके द्वारा आवेदित स्थानों पर किये जाने हेतु यथासंभव विचार किया जावे।
7. किसी एक लेखाधिकारी/स्टोर कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना अधिकतम 5 वर्ष के लिये होगी तथा 5 वर्ष बाद अन्य किसी लेखाधिकारी/स्टोर कार्यालय में ऐसे कर्मचारियों की पदस्थापना अगले 3 वर्ष नही की जावे।
8. अधिकारियों की पदस्थापना सामान्यतः एक पद पर दो वर्ष के लिये की जाये व कर्मचारियों की पदस्थापना एक पद पर तीन वर्ष के लिये की जावे। इस समयावधि के पूर्व यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो प्रस्ताव पर प्रशासनिक या अन्य कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
9. किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की पदस्थापना पुनः उसी पद पर उसी स्थान पर न की जाये जहाँ वे पूर्व में पदस्थ रह चुका हो।
10. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जावे कि अधिकारी/कर्मचारी को ऐसे स्थान में पदस्थ किया जाये जहाँ से उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन आवागमन पर अंकुश सुनिश्चित हो सके एवं पदस्थापी स्थान का कार्य प्रभावित न हो।
11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यथा संभव गृह जिले के बाहर पदस्थ नही किया जावेगा।

...2 पर

12. किसी एक कार्यालय में न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित (लीगल सेल) कार्य संपादित करने वाले कर्मचारियों की पदस्थापना अधिकतम 3 वर्ष के लिये होगी। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को तत्काल अन्य कार्य में संलग्न किया जावे। तथा उक्त कर्मचारी से अगले 3 वर्ष तक न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित कार्य संपादित न कराये जावें।

आदेशानुसार

अतिरिक्त सचिव
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि.

क्रमांक– अ.स./पूर्वक्षेत्र/स्था–3/431 जबलपुर, दिनांक 11/01/2011

प्रतिलिपि:–

1. सलाहकार, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (जक्षे/साक्षे/रीक्षे) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
3. अतिरिक्त सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (वित्त/लेखा) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. ....
6. समस्त कार्यपालन यंत्री म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. ....
7. स्टाफ आफीसर, सम्बद्ध अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।
8. समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. ....
9. स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी/महालेखाकार, कार्यालय.............. जबलपुर/भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर।
10. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य विद्युत सहकारी समिति मर्यादित ....
11. ग्रंथपाल, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि. जबलपुर।

– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कम्प.लिमि.

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल